फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री करण शर्मा पिता भवानीशंकर शर्मा निवासी बूझडा, पो0 कुन्दवा प0स0 देवगढ जिला राजसमन्द
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
एवं
लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ
— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 45/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 11.11.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1()सू0अ0,05/2019/703—04 दिनांक 09.10.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2019 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 07.08.2019 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकः प. 1()सू0अ0,05/2019/594—95 दिनांक 07.08.2019 को प्रेषित गया। प्रार्थी/अपीलान्ट के आवेदन पत्र को जिस दिन कार्यालय/अनुभाग को प्राप्त हुआ, आवेदन पत्र का अवलोकंन करने पर चाही गई सूचना इस कार्यालय की होने से उसी दिन संबंधित कार्यालय को सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 3(3)(।)(।।) के तहत अन्तरण कर भिजवाया गया तथा प्रार्थी/ अपीलार्थी को भी सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ द्वारा वांछित सूचना तैयार कर कार्यालय के पत्रांक सू. अधि. 05/2019/2039 दि. 11.10.2019 को पत्र वाहक द्वारा संबंधित को भिजवाई जा चुकि है।	

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, बिन्दु संख्या 01 लगायत 03 के संबंध में उपखण्ड अधिकारी देवगढ के पत्रांक सू. अधि. 05/2019/2039 दि. 11.10.2019 से जाहिर आया कि बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई हैं।

अतः प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नही होने से प्रकरण को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द